

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.27(7)न्याय/2014

जयपुर, दिनांक 23.1.17

:: परिपत्र ::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग/राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिसके कारण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर सूचना अपलोड नहीं हो पाती है। सभी कार्मिक प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में सम्पत्ति की सूचना विभाग में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी ई-मेल आई.डी. law.dept@rajasthan.gov.in पर 15 दिवस में उपलब्ध कराए।

साथ ही राजस्थान विधि सेवा संवर्ग/राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार सूचनाएं भी विभाग की ई-मेल आई.डी. पर अविलम्ब प्रेषित करें:-

1. Name
2. Post
3. Present Place of Posting (Office Name & Place)
4. Father's Name
5. Employee Code
6. DOB
7. Mobile No.
8. Phone Number (If any)
9. Email – ID
10. Joining Year in Service

नोट:- उक्त सूचनाएं इस विभाग को एवं ई-मेल आई.डी. law.dept@rajasthan.gov.in पर स्वयं के हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराए।

6-4
23/01/17
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

23.01.17
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव